कार्यपालिका सारांश

1. प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है ।

2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.1 राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है–राजस्व घाटा/आधिक्य, राजकोषीय घाटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।

मुख्य मापदंडों के संदर्भ में राज्य की राजकोषीय स्थिति में गिरावट हुई है । वर्ष 2019 की समाप्ति पर ₹683.76 करोड़ के सुगठित राजस्व आधिक्य से वर्ष 2020 की समाप्ति पर राज्य को ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (5.46 प्रतिशत) के सापेक्ष में राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत निर्धारित 3.50 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था ।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य का बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.91 प्रतिशत था जोकि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2016 द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य 21.23 प्रतिशत से अधिक था ।

यद्यपि छत्तीसगढ़ ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उच्च दर से वृद्धि दर्ज की, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की गयी थी। वर्ष 2019–20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्यतः तीनों क्षेत्र–कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में वृद्धि दर क्रमशः 15.77 प्रतिशत, 8.49 प्रतिशत तथा 10.98 प्रतिशत से वर्ष 2019–20 में क्रमशः 12.10 प्रतिशत, 5.51 प्रतिशत तथ 9.35 प्रतिशत की कमी के कारण हुई।

छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रमुख योगदान उद्योग क्षेत्र था, जबकी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, का प्रमुख योगदान कारक सेवा क्षेत्र था ।

(प्रथम अध्याय)

2.2 राज्य के वित्त

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.88 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व में क्रमशः 3.22 और 3.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजट अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 53 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में 14.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 3.79 प्रतिशत की कमी आई।

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 मे ऋण पुनर्भुगतान मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में भी वर्ष 2018–19 की तुलना में ₹5,217.43 करोड़ (36.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । वर्ष 2019–20 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹78,712.43 करोड़ था। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।

(द्वितीय अध्याय)

2.3 बजटीय प्रबंधन

राज्य शासन का बजटीय अनुमान 2019–20 के दौरान वास्तविक नहीं था और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था। हालाँकि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत बढ़ा।

चार अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹6,682.69 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लियें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। नियंत्रण अधिकारियों ने समय पर धनराशि का समर्पण नहीं किया। व्यय के आधार पर आवंटन मे बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया ।

बचत से बचने के लिये सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिये, विशेष रूप से जहाँ सतत् बचत होती रही और अनुपूरक अनुदान लेने से बचने के लिये जो अनुपयोगी रहे ।

(तृतीय अध्याय)

2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नही करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ (₹3,447.19 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹976.82 करोड़) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित हुआ एवं आवटंन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण भी धूमिल था।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिका एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

(चतुर्थ अध्याय)